

19/3/24

पत्रावली पेश हुई। बाकी उनका वसिगण
की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
बार - बार कामाज लगवाई गई फिर भी
कोई धाजिर नहीं आया। फरार होना है
कि बाकी अपने बार से प्रति हदाकीन है। अतः
बाद वधि अफ्र दानही अफ्र पैरकी में
स्वाहीज किया जाता है। पत्रावली फेराल
शुमार होकर पारिजल दरद हो। नम्बर से कद
हो। निर्णय फेराल न्यायालय में हुआ गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट टेक लालसोट